

न्यायालय न्याय निर्णयन अधिकारी एवं अपर जिला मजिस्ट्रेट, बाड़मेर  
पीठासीन अधिकारी : राजेन्द्र सिंह चांदावत, आर0ए0एस0  
खाद्य सुरक्षा परिवाद सं. 08/2026

प्रार्थी -

राजस्थान सरकार जरिये खाद्य  
सुरक्षा अधिकारी बाड़मेर

बनाम

- अप्रार्थीगण -
1. अरिहंत लूणिया पुत्र दिनेश लूणिया  
जाति जैन निवासी हाई स्कूल रोड,  
बाड़मेर (मैसर्स ट्रांसपोर्ट लूणिया रोड  
लाईन, चामुण्डा चौराहा, बाड़मेर का  
मालिक)
  2. मान सिंह पुत्र शैतान सिंह निवासी जान  
सिंह जी की बेरी, जिला बाड़मेर (मैसर्स  
श्री कृष्णा ट्रेडिंग कंपनी, जान सिंह की  
बेरी, जिला बाड़मेर का मालिक)

परिवाद अन्तर्गत धारा 26(2)(ii) सहपठित धारा 51 खाद्य सुरक्षा एवं  
मानक अधिनियम, 2006

उपस्थिति :-

1. अभियोजन अधिकारी प्रार्थी की ओर से उपस्थित।
2. अप्रार्थीगण स्वयं उपस्थित।

आदेश

दिनांक : 04.03.2026

1. प्रार्थी की ओर से यह परिवाद खाद्य सुरक्षा अधिकारी बाड़मेर द्वारा धारा 26 की  
उप धारा (2)(ii) के उल्लंघन के फलस्वरूप धारा 51 खाद्य सुरक्षा और मानक  
अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत अप्रार्थीगण के विरुद्ध प्रस्तुत किया गया है। खाद्य  
सुरक्षा अधिकारी बाड़मेर द्वारा प्रस्तुत परिवाद के संक्षिप्त तथ्य यह हैं कि अप्रार्थी  
संख्या 1 की फर्म मैसर्स ट्रांसपोर्ट लूणिया रोड लाईन, चामुण्डा चौराहा, बाड़मेर  
पर निरीक्षण दिनांक 14.01.2025 को खाद्य पदार्थ घी ब्राण्ड मिल्क क्रीम लगभग  
156 लीटर ट्रांसपोर्ट में रखा हुआ था, को मिलावट का होने के शक पर ट्रांसपोर्ट  
मालिक को बताया गया, जिसमें ट्रांसपोर्ट कंपनी द्वारा उक्त माल की बिल्टी  
बताकर संबंधित फर्म श्री कृष्णा ट्रेडिंग कंपनी, जान सिंह की बेरी, जिला बाड़मेर  
के मालिक को बुलाया गया, लेकिन उक्त फर्म मालिक की उपस्थिति नहीं होने  
के कारण उक्त खाद्य पदार्थ घी ब्राण्ड मिल्क क्रीम में से 500-500 ग्राम के मूल  
पैकेट वास्ते नमूना क्रय किया जाकर नमूना संख्या पी-2808 अंकित कर इसकी  
जांच खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम, 2006 के तहत कराये जाने हेतु  
प्रपत्र-5(ए) भरकर अप्रार्थीगण एवं गवाह व विक्रेता के हस्ताक्षर करवाये गये।  
उक्त खाद्य पदार्थ घी ब्राण्ड मिल्क क्रीम का नमूना वास्ते जांच खाद्य विश्लेषक,  
खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्रयोगशाला जोधपुर को भिजवाया गया। खाद्य विश्लेषक,  
खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्रयोगशाला जोधपुर द्वारा उक्त खाद्य पदार्थ घी ब्राण्ड



मिल्क क्रीम का नमूना अनसेफ पाये जाने पर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस सूचना दी गई, जिस पर अप्रार्थी द्वारा सैम्पल की द्वितीय जांच निर्दिष्ट प्रयोगशाला में करवाने का प्रार्थना-पत्र किया। इस पर उक्त नमूना जांच हेतु निर्दिष्ट खाद्य प्रयोगशाला मैसूर को भिजवाया गया जिसमें जांच उपरान्त रिपोर्ट दिनांक 29.09.2025 में उक्त नमूना अवमानक (Substandard) स्तर का पाया गया है। इस पर प्रार्थी खाद्य सुरक्षा अधिकारी बाडमेर द्वारा यह परिवाद प्रस्तुत कर अप्रार्थीगण को खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 की धारा 26 की उप धारा (2)(ii) का उल्लंघन करने के लिए अधिनियम की धारा 51 के तहत जुर्माना से दण्डित करने का निवेदन किया है।

2. अप्रार्थीगण को जरिये रजिस्टर्ड नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थीगण स्वयं उपस्थित। अप्रार्थी संख्या 1 द्वारा अपने जवाब में यह पेश किया कि उक्त माल श्रीराम मिल्क फूड जयपुर से कृष्णा ट्रेडिंग कंपनी बाडमेर माल घी मिल्क क्रीम ब्राण्ड जो डिलीवर्ड होने के लिए मेरी ट्रांसपोर्ट में आया था। उक्त प्रकरण में न मैं बेचानकर्ता हूं और न ही खरीददार हूं, मुझे अनावश्यक रूप से उक्त प्रकरण में अप्रार्थी के रूप में संयोजित किया गया है एवं मेरा इसमें किसी प्रकार का हित निहित नहीं है। अप्रार्थी संख्या 02 द्वारा जूर्म स्वीकार प्रार्थना पत्र पेश करते हुए नरम दृष्टिकोण बनाए रखने हेतु निवेदन किया है।
3. प्रार्थी की ओर से प्रस्तुत परिवाद का अवलोकन किया एवं पत्रावली में प्रस्तुत दस्तावेजों का अवलोकन किया गया। अप्रार्थीगण द्वारा कारित अपराध खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत जुर्माना से दण्डनीय है तथा खाद्य पदार्थों से सम्बन्धित सुरक्षा मानकों के प्रति उदासीनता मानव स्वास्थ्य के प्रति गम्भीर अपराध की श्रेणी में माना गया है। अप्रार्थी के प्रतिष्ठान से लिये गये खाद्य पदार्थ के नमूना की निर्दिष्ट खाद्य प्रयोगशाला मैसूर से प्राप्त नमूना जांच रिपोर्ट दिनांक 29.09.2025 में उक्त नमूना अवमानक (Substandard) स्तर का पाया गया है। निर्दिष्ट प्रयोगशाला की जांच रिपोर्ट अनुसार **Milk Fat** का मानक स्तर Not less than 99.5 के मुकाबले **99.30** पाया गया है, **BRR at 40 C** का मानक स्तर 40-44 के मुकाबले **48.19** पाया गया है, **RM Value** का मानक स्तर Not less than 24 के मुकाबले **0.41** पाया गया है, **Polenske value** का मानक स्तर 0.5-2 के मुकाबले **0.38** पाया गया है, **Iodine Value** का मानक स्तर 25-38 के मुकाबले **54.90** पाया गया है, **Saponification Value** का मानक स्तर 205-235 के मुकाबले **189.24** पाया गया है एवं **Test for the presence of Vegetable oils** का मानक स्तर Shall be absent के मुकाबले **Present** पाया




*[Handwritten Signature]*

गया है जो कि मानक स्तर का नहीं है। इस पर प्रार्थी की ओर से यह परिवाद प्रस्तुत होने पर जरिये नोटिस जवाब हेतु अप्रार्थीगण को तलब किया गया। अप्रार्थीगण स्वयं उपस्थित। अप्रार्थी संख्या 1 द्वारा अपने जवाब में यह पेश किया कि उक्त माल श्रीराम मिल्क फूड जयपुर से कृष्णा ट्रेडिंग कंपनी बाडमेर माल घी मिल्क क्रीम ब्राण्ड जो डिलीवर्ड होने के लिए मेरी ट्रांसपोर्ट में आया था। उक्त प्रकरण में न मैं बेचानकर्ता हूँ और न ही खरीददार हूँ, मुझे अनावश्यक रूप से उक्त प्रकरण में अप्रार्थी के रूप में संयोजित किया गया है एवं मेरा इसमें किसी प्रकार का हित निहित नहीं है। अप्रार्थी संख्या 02 द्वारा जूर्म स्वीकार प्रार्थना पत्र पेश करते हुए नरम दृष्टिकोण बनाए रखने हेतु निवेदन किया है। इस प्रकार अप्रार्थी संख्या 02 द्वारा खाद्य पदार्थ के नमूने के अवमानक पाये जाने के संबंध में कोई ठोस एवं तथ्यात्मक प्रतिरक्षण प्रस्तुत नहीं किया है। उक्त उल्लेखित विधिक प्रावधान हस्तगत प्रकरण पर प्रयोज्य नहीं है। अप्रार्थी संख्या 02 द्वारा उसके व्यवसाय में जिस खाद्य पदार्थ का विक्रय किया जा रहा था, उसकी गुणवत्ता व मानकता के प्रति उनके दायित्व से विमुक्ति का प्रयास किया गया है। अप्रार्थी की फर्म से लिया गया खाद्य पदार्थ का नमूना अवमानक पाया गया है तथा खाद्य सुरक्षा अधिनियम एवं उसके अधीन बनाये गये विनियमों की सम्पूर्ण पालना किया जाना आवश्यक एवं बाध्यकारी है। लिहाजा अप्रार्थी संख्या 02 के विरुद्ध खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 की धारा 26 की उप धारा (2)(ii) का उल्लंघन करने के लिए अधिनियम की धारा 51 के तहत जुर्म प्रमाणित हैं।

4. अतः उपर्युक्त तथ्यों एवं परिस्थितियों पर विवेचन उपरांत अप्रार्थी के विरुद्ध अपराध धारा 51 खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 प्रमाणित होने से अप्रार्थी संख्या 02 पर रूपये 2,00,000/- जुर्माना अधिरोपित किया जाता है। अप्रार्थी संख्या 02 उक्त जुर्माना राशि का बैंक डिमाण्ड ड्राफ्ट मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी बाडमेर के नाम पेश करें, जो पेश होने पर सम्बन्धित अधिकारी को राजकोष में जमा करवाने हेतु भिजवाया जावें। पत्रावली निर्णय शुमार होकर दाखिल दफ्तर हों।

5. आदेश आज दिनांक 04.03.2026 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।



  
(राजेन्द्र सिंह चौधरी)  
न्याय निर्णयन अधिकारी एवं  
अपर जिला मजिस्ट्रेट, बाडमेर